न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र
आर.ए.एस.

सं. 04 / 2009
सीएमएस : 2009 / 00043

1. सन्तराम पुत्र श्री बिशनसिंह जाति बावरी साकिन 11 एनपी ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)। –:प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
–:अप्रार्थी

तारीख रजू:– 05.02.2009

उपस्थितः

1. श्री विनित त्यागी अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री राजपेरोकार सरकार प्रतिवादीगण।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट,

––निर्णय–– दिनांक : 30.06.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का माननीय न्यायालय द्वारा बतौर भूमिहीन मान कर जरिये मिसल नं. 108 / 90 निर्णय दिनांक 01.04.1991 का चक 27 एनपी बी तहसील रायसिंहनगर मु.नं. 201 / 329 (86 के कि.नं. 1 ता 15 सालम–सालम, 16 में 0.05 बिस्वा कुल तादादी 15.05 बीघा बारानी स्थाई आवंटन किया गया था आवंटन होने के बाद प्रार्थी इस भूमि पर काबिज होकर काश्त करना शुरू कर दिया तथा तमाम राशि उक्त भूमि की अदा की जा चुकी है। जब प्रार्थी द्वारा तमाम राशि जमा करने के बाद उक्त भूमि की सनद खातेदारी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया तो पटवारी हल्का द्वारा यह भूमि चक 27 एनपी बी तहसील रायसिंहनगर में होना बतलाया तथा राजस्व रिकार्ड में यह भूमि रकबा राज होना बताया। चूकि यह मु.नं. 86 पं.नं. 201 / 329 के कि.नं. 1 ता 15 सालम–सालम, 16 / 0.063 बारानी चक 27 एनपी ए की बजाय चक 27 एनपी बी तहसील रायसिंहनगर में स्थित है तथा जब तक आवंटन पट्टा में इस त्रुटि का संशोधन नहीं हो जाता है तब तक उक्त भूमि का गैर खातेदारी इन्तकाल प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होता तथा जब तक गैर खातेदारी इन्तकाल दर्ज नहीं होता प्रार्थी की उक्त भूमि की सनद खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए आवंटन पट्टा में हुई इस त्रुटि का संशोधन किया जाकर चक 27 एनपीए की जगह चक 27 एनपीबी दर्ज किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी ने इस भूमि का गैर खातेदारी इन्तकाल दर्ज कराने के लिए श्रीमान् तहसीलदार अप्रार्थी के समक्ष दिनांक 16.06.2008 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिन्होने पटवारी हल्का से रिपोर्ट मांगी तथा पटवारी हल्का ने जब तक आवंटन आदेश में संशोधन नहीं हो जाता है तब तक गैर खातेदारी इन्तकाल दर्ज में अपनी मजबूरी प्रकट की। इसके बाद प्रार्थी ने अप्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में आवंटन आदेश में संशोधन कर गैर खातेदारी इन्तकाल के लिए निवेदन किया तो उन्होने दिनांक 21.01.2008 को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के न्यायालय में पेश किया जा रहा हैं। प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार में है तथा अन्दर मियाद है तथा [illegible] प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 27 एनपीए [illegible] रायसिंहनगर का मु.नं. 201 / 329(86) के कि.नं. 1 ता 15 सालम–[illegible] आवंटन पत्रावली सं. 108 / 1990 निर्णय 01.04.1991 भू [illegible] से तलब की जाकर आवंटन आदेश के चक 27 एनपीए की जगह 27 एनपीबी [illegible] संशोधित किया जावे, ताकि प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में गैर [illegible] दर्ज कराकर खातेदारी प्राप्त कर सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.14 16:54:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 राजपेरोकार मुकलावा ने सरकार की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक चित्रप्रति आवंटन आदेश चक 27 एनपीए का पं.न. 201/329 का 15.05 बीघा बारानी आवंटन हुआ है मुताबिक रिकार्ड उक्त रकबा चक 27 एनपी बी मे दर्ज है। मुताबिक रिकार्ड उक्त रकबा चक 27 एनपीबी में है जबकि आवंटन आदेश में चक 27 एनपीए लिखा गया। जवाब सरकार पेश कर निवेदन है कि मुताबिक आवंटन आदेश चक 27 एनपीए का मु.नं. 201/329 का 15.05 बीघा बारानी आवंटन हुआ है। जबकि मुताबिक रिकार्ड उक्त रकबा चक 27 एनपीए में है आवंटन पत्रावली का अवलोकन कर संशोधन किया जाना नियमानुसार उचित है।

तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/5081 दिनांक 05.11.2024 से उक्त प्रकरण के संदर्भ में मौका जांच रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि चक 27 एन.पी.बी. के मु.नं. 86 प.नं. 201/329 कि.नं. 1 ता 15/3.795, 16/1/0.063 है. कुल 3.858 है. बारानी अराजीराज दर्ज रिकार्ड है। उपखण्ड अधिकारी महोदय रायसिंहनगर द्वारा जारी आवंटन आदेश में उक्त रकबा चक 27 एन.पी. ए में दर्ज हैं। जो कि प्रार्थी के नाम आवंटन हुई थी। श्रीमान् जी उक्त आवंटन आदेश में दर्ज प.नं. 201/329 चक 27 एन.पी.ए का न होकर चक 27 एन.पी.बी का है जो कि चक 27 एन.पी.बी. मु.नं. 86 प.नं. 201/329 का 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि जमाबन्दी में आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अतः उक्त आवंटन आदेश में चक 27 एन.पी.ए. के स्थान पर पर चक 27 एन.पी. बी. की दुरूस्ती की जानी उचित है। श्रीमान् जी उक्त रिपोर्ट हल्का 28 एन.पी. व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। संवत 2044 चक 27 एन.पी.बी. के रजिस्टर ओ–14 के अनुसार भी उक्त रकबा चक 27 एन.पी.बी. के मु.नं. 86 में रकबा 3.857 बारानी में काश्त प्रार्थी संतराम पुत्र बिशनसिंह जाति बावरी साकिन 41 एन.पी. द्वारा की गई। अतः उक्त रकबा चक 27 एन.पी.बी में होने के कारण आवंटन आदेश में चक 27 एन.पी.ए. की जगह चक 27 एन.पी.बी. किया जाना उचित हैं।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवटंन आदेश की छायाप्रति में भी चक 27 एनपी ए अंकित है पटवार हल्का द्वारा भी अवगत करवाया गया है कि उक्त भूमि मौके पर चक 27 एन.पी.ए. के मु.नं. 86 प.नं. 201/329 कि.नं. 1 ता 15/3.795, 16/1/0.063 है. कुल 3.858 है. बारानी अराजीराज दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन आदेश छायाप्रति के अलावा कोई अन्य दस्तावेज भी पेश नहीं किया है जिस से साबित हो सके कि चक 27 एन.पी. ए. के स्थान पर चक 27 एन.पी. बी. किया जा सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.14 13:54:03 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner